उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून

दूरभाष : 0135– 2662021, टैलिफैक्स – 2662180 ईमेल :**secy-uic@gov.in** वैब : **http://uic.gov.in**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड सूचना आयोग में सृजित नियत वेतनमान के विधि अधिकारी के एक पद पर अनुबन्ध के आधार पर (अन्तिम वेतन – सकल पेंशन की राशि) एक वर्ष के लिए कार्य करने के इच्छुक राज्य के ऐसे विधिक कार्यों से सेवानिवृत्त विधि विशेषज्ञों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं जो अभियोजन अधिकारी अथवा सदृष्य पद पर या उससे उच्च विधि से संबंधित पद से सेवानिवृत्त हुए हों और जिसकी आयु दिनांक 31/12/2021 को 62 वर्ष से अनधिक और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विधि स्नातक से कम न हो। आवेदन पत्र सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के नाम दिनांक 24/01/2022 तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही स्वीकार होंगे। आवेदन पत्र का प्रारूप, चयन की प्रक्रिया व अनुबन्ध की शर्ते आदि उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट **http://uic.gov.in** अथवा आयोग कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस को कक्ष संख्या 204 से प्राप्त किये जा सकते हैं। विज्ञप्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन आयोग की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

(बंशीलाल राणा, सचिव)

अंतिम चयन/अनुबन्ध की शर्ते

1. सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग, सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून के नाम से निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक से दिनांक 24/01/2022 की अपराह्न 06.00 बजे तक प्राप्त आवेदन पत्र ही चयन हेतु विचार किये जाएंगे।

2. आवेदन पत्र के लिफाफे के शीर्ष पर ''विधि अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र'' अवश्य अंकित किया जाए।

3. अभियोजन अधिकारी अथवा सदृश्य पद पर या उससे उच्च विधि से संबंधित पद से सेवानिवृत्त अधिकारी अथवा दिनांक 31/01/2021 को सेवानिवृत्त हो रहे अधिकारियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा परंतु ऐसे अधिकारी/सेवानिवृत्त अधिकारी की आयु दिनांक 31/12/2021 को 62 वर्ष से अनधिक और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता विधि स्नातक से कम न हो।

4. आवेदन पत्र के साथ अंतिम वेतन प्रमाण पत्र अथवा प्रपत्र की छायाप्रति संलग्न न होने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. आवेदन पत्र में राजकीय सेवा का विवरण का उल्लेख न किये जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का वेतन (अन्तिम वेतन–सकल पेंशन की राशि) व अन्य अनुबन्ध की शर्ते वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 के शासनादेश संख्या 41/XXVII(7)50(4)/2017 दिनांक 21 सितम्बर, 2017 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय जारी यथा संशोधनों के अनुसार नियत की जाऐंगी। उक्त शासनादेश के अनुसार चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का आयोग के साथ एक वर्ष का अनुबन्ध किया जाएगा।

7. चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का अनुबन्ध उनके कार्यकुशलता, आचरण व स्वास्थ्य को देखते हुए आगामी एक–एक वर्ष के लिए परन्तु किसी भी दशा में 65 वर्ष से अनाधिक आयु तक बढ़ाया जा सकेगा।

8. आयोग द्वारा चयनित सेवानिवृत्त अधिकारी का अनुबन्ध किसी समय भी बिना पूर्व नोटिस के समाप्त भी किया जा सकता है।

9. प्राप्त आवेदनों पर अंतिम चयन मा0 मुख्य सूचना आयुक्त एवं मा0 राज्य सूचना आयुक्त आयुक्तगणों की समिति द्वारा साक्षात्कार के उपरान्त किया जाएगा। साक्षात्कार हेतु यात्रा भत्ता आदि अनुमन्य नहीं होगा। साक्षात्कार की सूचना आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराये गये दूरभाष नम्बर अथवा ई–मेल के द्वारा दी जाएगी।

10. आवेदनों की संख्या अधिक होने पर मा0 मुख्य सूचना आयुक्त/मा0 राज्य सूचना आयुक्तगण की समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से आयोग के विधि कार्य हेतु उपयुक्त आवेदकों को उनके अनुभव एवं शैक्षिक योग्यता के आधार पर Short List किया जायेगा, जिसमें से किसी एक का साक्षात्कार के उपरान्त समिति द्वारा अंतिम चयन किया जाएगा।

11. प्रकाशित विज्ञप्ति को बिना किसी सूचना के स्थगित/निरस्त किये जाने का अधिकार मा0 आयोग को होगा। इस हेतु कोई भी अनुतोष देय नहीं होगा।

12. ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान है, उनके आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जाएंगे। अंतिम चयन के उपरान्त इसकी पुष्टि होने पर उनका अनुबन्ध तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

13. अनुबन्ध के आधार पर विधि अधिकारी के रूप में अंतिम चयन पूर्ण कालिक होगी। अनुबन्ध की अवधि में आयोग के विधिक कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य संस्था का कार्य किये जाने की अनुमति नहीं होगी।

14. आवश्यकता पड़ने पर साप्ताहिक अवकाश/राजपत्रित अवकाश के दिवस को भी बुलाया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त प्रतिकर देय नहीं होगा।

विधि अधिकारी के पद हेतु आवेदन पत्र

1. नाम :

2. जन्म तिथि :

3. शैक्षिक योग्यता :

क्र0 सं0	शैक्षिक योग्यता	संस्थान	उत्तीर्ण का वर्ष	प्राप्तांक का प्रतिशत
1.	हाईस्कूल			
2.	इण्टरमीडिएट			
3.	स्नातक			
4.	एल0एल0बी0			

4. सेवा निवृत्ति की तिथि :

5. सेवा निवृत्त / कार्यरत पद का नाम :

6. सेवानिवृत्त / कार्यरत पद का लेवल :

7. दिनांक 31 / 12 / 2021 को सेवानिवृत्त होने की समयावधि :

8. राजकीय सेवाओ का विवरण :

क्रम सं0	सेवा का विवरण	पदनाम/पद का लेवल (7वें वेतन आयोग की संस्तुति के अनुसार)	विभाग का नाम	सेवा अवधि		कुल अवधि
				कब से	कब तक	
1.	प्रथम नियुक्ति					
2.	पदोन्नति पर कार्य					
4.	सेवानिवृत्ति या वर्तमान में कार्यरत पद के कार्य का अनुभव					
5.	अन्य कोई विधिक पद का अनुभव					

स्वप्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरी के विरूद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है और न ही कोई ऐसी कार्यवाही गतिमान है। आवेदन पत्र में मेरे द्वारा अंकित विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतः सही है। मेरे द्वारा अंकित विवरण सही न पाये जाने पर इस हेतु आयोग के द्वारा विधि सम्मत् जो कार्यवाही की जाएगी वह स्वीकार होगी।

दिनांक.......................

संलग्नक..................